पत्र संख्या स्था0अराज0/ई0आई0एम0एस0/2021-21/ 1657 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक 26 जुलाई,2021

समस्त जोनल एडीशनल कश्मिनर
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

....

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या 755 दिनांक 08.06.2021 एवं पत्र संख्या-1208 दिनांक 05-07-2021 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि प्रतिवेदक तथा स्वीकर्ता अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार आनलाईन इ0 आई0 एम0 एस माडयूल में अंकित किये जाने हेतु क्रमशः दिनांक 30-07-2021 तथा दिनांक 10-08-2021 की समय सीमा निर्धारित की गई है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अभी तक अधिकांश कार्मिकों की वर्ष 2020-21 की वार्षिक प्रविष्टि ऑनलाइन माड्यूल में उनके सक्षम प्रतिवेदक/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा अंकित नहीं की जा सकी है। जबकि कतिपय अधिकारियों के अनुरोध पर इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र संख्या 1208 दिनांक 05.07.2021 द्वारा इस कार्य हेतु बढ़ायी गयी समय सीमा भी व्यतीत होने वाली है। यह भी अवगत कराना है कि प्रकरण में निर्धारित समयसीमा समाप्त होने पर माड्यूल में प्रविष्टि अंकित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिर्पोटों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली-1995 के प्रस्तर 4-(1) में प्राविधान दिया गया है कि जहां किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक हो,जिसे आगे प्रतिकूल रिपोर्ट कहा गया है,तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा,जो प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट हो,रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर सम्पूर्ण रिपोर्ट लिखित रुप से संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण पत्र रिपोर्ट मे अभिलिखित किया जायेगा। इस आधार पर आनलाईन ई0आई0एम0एस0 माड्यूल में जिन कार्मिकों को वार्षिक प्रविष्टि प्रतिकूल अंकित की गयी है,ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिक को निर्धारित समयावधि में संसूचित भी कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अराजपत्रित श्रेणी के कार्मिकों की वर्ष 2020-21 की वार्षिक प्रविष्टि उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में प्रत्येक दशा में अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिर्पोटों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली-1995 के प्राविधानुसार प्रतिकूल प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिक को लिखित (मैनुअल) रुप से तत्काल संसूचित कराये जाने का कष्ट करें।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)वाणिज्य कर
वाणिज्य कर मुख्यालय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,लखनऊ।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी,वाणिज्य कर मुख्यालय ।
3. समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
4. आई०टी० अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पी0एन0यादव)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (स्था0अराज0)वाणिज्य कर
वाणिज्य कर मुख्यालय।